



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2016/फाल्गुन 5, 1937

No. 488]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2016/ PHALGUNA 5, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2016

का.आ. 567(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना / जोन जे के लिए क्षेत्रीय योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक जून 19, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 1637 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सार्वजनिक सूचना के बारे में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए, और
- यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021/ जोन जे के लिए क्षेत्रीय योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021/ जोन जे के लिए क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

केन्द्रीय सशक्त पुलिस बल आर्यु विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) हेतु जोन जे में मैदानगढी गाँव में आने वाले 3.48 हेक्टर (8.6 एकड़) भूमि क्षेत्र को आवासीय उपयोग से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक उपयोग (पीएस1) में निम्नातुसार परिवर्तन किया जाता है :-

स्थान	क्षेत्रफल	(दि.मु.यो-2021 एवं जोन-जे. की क्षे.वि.यो के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
गाँव मैदान गद्दी, दिल्ली की राजस्व सम्पदा में स्थित आवासीय (सीएपीएफआईएम) हेतु निर्धारित प्लॉट	3.48 हैक्टेयर (8.6 एकड़)	“आवासीय”	“सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पीएस1) ”	उत्तर एवं पूर्व : मनोरंजनात्मक (असोला वन्य जीव अभ्यारण्य) पश्चिम: आवासीय (सी.बी.आई. को आवंटित भूमि) दक्षिण:सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पीएस1) सीएपीएफआईएमएस, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को आवंटित भूमि।

[फा.सं. के-13011/11/2015-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2016

S.O. 567(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Plan for Zone-J regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 1637 (E) dated 19th June, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion received in DDA with regard to the Public Notice on the proposed modifications and;

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Plan for Zone-J.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Plan for Zone-J with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land measuring 3.48 ha. (8.6 acre) from ‘Residential Use’ to ‘Public and Semi-Public Facilities (PS1)’ at Village Maidangarhi in Zone-J for Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS), as per description listed below.

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
The plot earmarked for residential (CAPFIMS) situated in Revenue Estate of Village Maidangarhi, Delhi.	3.48 ha (8.6 acre)	'Residential'	'Public & Semi Public Facilities (PS1)'	North & East Recreational (Asola Wild Life Sanctuary) West: Residential (land allotted to CBI) South: Public and Semi Public Facilities (PS1)-Land allotted to CAPFIMS, MHA GOI.

[F.No. K-13011/11/2015-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.